निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 26 / 2024
दायरा दिनांकः–2.07.2024
निर्णय दिनांकः– 5.11.24

उनवान

धन्नालाल आयु 50 वर्ष पुत्र खेमा जाति बंजारा निवासी ग्राम कुलिंजरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 5.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल कुलिंजरा तहसील छबडा में खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 56 / 1 रकबा 1.2141 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.2141 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम धन्नालाल पुत्र खेमा है परन्तु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का नाम धन्नालाल पुत्र खेमा के स्थान पर पप्पुलाल पुत्र खेमा गलत दर्ज हो गया है जो उक्त आराजी में सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पडता है तथा इस कारण प्रार्थी का नाम दुरूस्तीकरण होकर पप्पुलाल के स्थान पर धन्नालाल उक्त चाते की जमाबन्दी में दर्ज होना आवश्यक है तथा राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी, जन आधार कार्ड, में एवं अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम धन्नालाल ही दर्ज है। प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से कही बार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कर पप्पुलाल के स्थान पर धन्नालाल अंकित करवाना चाहा है। व निवेदन किया तो सभी ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधन करने के आदेश लाने को कहां है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कुलिंजरा सम्वत् 2074--77 संख्या संख्या 119 फोटो प्रति आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड पेश हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुलिंजरा तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम धन्नालाल पुत्र खेमा है परन्तु नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का नाम धन्नालाल पुत्र खेमा के स्थान पर पप्पुलाल पुत्र खेमा गलत दर्ज कर दिया। जिससे प्रार्थी को सरकारी योजनाओं को लाभ से वंचित होना पडता है प्रार्थी का अन्य दस्तावेज राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम धन्नालाल ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी पप्पुलाल के स्थान पर धन्नालाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कुलिंजरा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 119 में पप्पुलाल पुत्र खेमा हिस्सा 1/6 जाति बंजारा दर्ज है प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, में धन्नालाल पुत्र खेमा अंकित है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम धन्नालाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड में पप्पुलाल दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इस सम्वन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम कुलिंजरा के राजस्व रिकार्ड नामान्तरण नम्बर 783 दिनांक 22.09.2014 में नामान्तरण दर्ज करतें समय सहवन से धन्नालाल के स्थान पर पप्पुलाल हो गया ग्राम वासियो से पुछताछ करने पर जानकारी से प्राप्त हुआ कि धन्नालाल पुत्र खेमा व पप्पुलाल पुत्र खेमा एक ही व्यक्ति है तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट एवं प्रार्थी के दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का सही नाम धन्नालाल है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित पप्पुलाल के स्थान पर धन्नालाल किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कुलिंजरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 56/1 रकबा 1.2141 है0 में अंकित पप्पुलाल पुत्र खेमा के स्थान पर धन्नालाल पुत्र खेमा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दियें जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा